

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, यू.एल.एम.एम.सी की अध्यक्षता में दिनांक 08 सितम्बर 2026 को सायं 6:30 बजे आहूत उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी) की शासी निकाय की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, यू.एल.एम.एम.सी. की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून की चतुर्थ शासी निकाय बैठक दिनांक 08 सितम्बर, 2026 को अपराह्न 06:30 बजे मुख्य सचिव कार्यालय, सचिवालय के सभागार में आहूत की गई। यू.एल.एम.एम.सी. के बायलॉज में निहित प्रावधानों के अनुसार शासी निकाय की चतुर्थ बैठक के आयोजन हेतु आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) पूर्ण पाई गई। उक्त बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

1.	डॉ. बृजेश कुमार संत	सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन ।	विशेष आमंत्रित
2.	श्री विनोद कुमार सुमन	सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन/डी0जी0, यू0एल0एम0एम0सी0 ।	उपाध्यक्ष
3.	श्री विनीत कुमार	अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।	सदस्य
4.	श्री हिमांशु खुराना	अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।	सदस्य
5.	डॉ. मेहरबान सिंह विष्ट	अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।	सदस्य
6.	श्री प्रकाश चन्द्र	अपर सचिव, आपदा प्रबंधन/अपर महानिदेशक, यू.एल.एम.एम.सी. ।	सदस्य सचिव
7.	श्री गंगा प्रसाद	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन ।	सदस्य
8.	श्री संतोष बड़ोनी	अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।	सदस्य
9.	श्री रवि नेगी	निदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादून । (online)	सदस्य
10.	डॉ. विनीत कुमार गहलौत	निदेशक, वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान, देहरादून ।	सदस्य
11.	श्री एम.आर. आर्य	निदेशक, यूपीसीएल, उत्तराखण्ड ।	सदस्य
12.	श्री नीरज अग्रवाल	महाप्रबन्धक डिजाइन, टी.एच.डी.सी. ऋषिकेश । (online)	सदस्य
13.	डॉ. अमित धीमान	प्रोफेसर आई.आई.टी. रुड़की । (online)	सदस्य
14.	डॉ. शशांक बत्रा	असिस्टेंट प्रोफेसर, राष्ट्रीय प्राद्यौगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड । (online)	सदस्य
15.	डॉ. कला वेंकट उदय	असिस्टेंट प्रोफेसर, आई.आई.टी. मण्डी, हिमाचल प्रदेश । (online)	सदस्य
16.	श्री जय कुमार शर्मा	मुख्य अभियन्ता, JICA-UFRMP	-
17.	श्री एच.एस. बसेड़ा	उप-सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।	-
18.	श्री अभिषेक कुमार आनन्द	वित्त नियन्त्रक, यू.एल.एम.एम.सी. ।	-
19.	डॉ. शान्तनु सरकार	निदेशक, यू.एल.एम.एम.सी. ।	-

सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, शासी निकाय, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) तथा शासी निकाय के सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके उपरान्त बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्न प्रकार विचार-विमर्श किया गया -

1. एजेण्डा (1) :- सर्वप्रथम पूर्व में शासी निकाय, यू.एल.एम.एम.सी. की तृतीय बैठक दिनांक 02 जनवरी, 2026 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जानकारी निम्नवत साझा की गयी -

- a. यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन से सम्बन्धित डीपीआर, तकनीकी परीक्षण एवं परामर्शी सेवाएं आदि कार्यों का संपादित किया जा रहा है। अब तक NLRMP के अंतर्गत कुल 05 तथा जनपद बागेश्वर हेतु 02 डीपीआर गठन किए जा चुके हैं। जनपद नैनीताल के 01 भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का तकनीकी परीक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही U-PREPARE एवं लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित 11 डीपीआर की प्रूफ जाँच का कार्य कर ली गयी है। इसके अतिरिक्त जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल एवं पिथौरागढ़ हेतु कुल 23 डीपीआर तैयार किए जाने के सम्बन्ध में राज्य के विभिन्न विभागों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
- b. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (WIHG) एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की (IIT Roorkee) आदि तकनीकी संस्थानों/एजेंसियों से उपलब्ध भूस्खलन सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन एवं उक्त संस्थानों के साथ तकनीकी समन्वय स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने की कार्यवाही भी गतिमान है। राज्य में भूस्खलनों को Minor, Moderate, Major एवं Critical श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाने हेतु ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है।
- c. यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा JICA परियोजनाओं के अन्तर्गत उपयोग की जा रही तकनीकों का अध्ययन किया गया है। भविष्य में JICA द्वारा उपयोग की जा रही उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करते हुए DPR तैयार किए जाने हेतु JICA के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- d. यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा Debris Flow Modelling का कार्य प्रगति पर है। प्रथम चरण में जनपद चमोली, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी में Debris Flow के संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया है।
2. एजेन्डा (2) :- दिनांक 05 मई, 2026 को आहूत यू.एल.एम.एम.सी. की कार्यकारिणी समिति की चतुर्थ बैठक में निम्न बिंदुओं पर शासी निकाय द्वारा अनुमोदन/निर्णय दिया गया -
- 2.1. यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा वर्तमान में पूर्ण किये गये एवं गतिमान परियोजनाओं से सम्बन्धित भूस्खलन क्षेत्रों की डी.पी.आर. गठन एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शी (PMC) के सम्बन्ध में।
- यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा गतिमान/पूर्ण परियोजनाओं में प्रदान की गयी पी.एम.सी. सेवाओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से भुगतान अपेक्षित है। इसका विवरण निम्नवत् है -

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (लाख में)	पीएमसी शुल्क कुल परियोजना लागत का 1% (लाख में) (जीएसटी अतिरिक्त)	अभियुक्ति
1	गलोगी, मसूरी भूस्खलन रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	2535.65	20.94 (70 प्रतिशत)	कार्य प्रगति पर है।
2	बलियानाला, नैनीताल ढलान स्थिरता कार्य	24949.78	147.19	
3	हल्द्वानी, गोपेश्वर भूधंसाव एवं भूस्खलन कार्य।	6733.12	67.33	कार्य पूर्ण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (लाख में)	पी0एम0सी0 शुल्क कुल परियोजना लागत का 1% (लाख में) (जीएसटी अतिरिक्त)	अभियुक्ति
4	ग्वालगांव (एल-धारा), पिथौरागढ़ स्थिरीकरण कार्य।	7063.11	70.63	कार्य पूर्ण
5	ग्राम खौतिला एवं घटधार, धारचूला, पिथौरागढ़ तटबन्ध-बाढ़ सुरक्षा कार्य।	2811.01	28.11	कार्य पूर्ण

उक्त के क्रम में निदेशक, यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा शासी निकाय को अवगत कराया गया कि यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा 05 परियोजनाओं में सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग को पी.एम.सी. की सेवाएं प्रदान की गयी हैं, तथापि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उक्त सेवाओं के सापेक्ष भुगतान करने में इस आधार पर असमर्थता व्यक्त की गयी है कि परामर्श शुल्क का प्रावधान परियोजनाओं के मूल आगणन में सम्मिलित नहीं किया गया था।

इस सम्बन्ध में सचिव, आपदा प्रबन्धन द्वारा शासी निकाय को अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग द्वारा यदि अन्य संस्थाओं से डी.पी.आर. तैयार कराई जाती है, तो उसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाता है। अतः उक्त शुल्क यू.एल.एम.एम.सी. को भी उपलब्ध कराया जाना उचित होगा। इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कन्टिजेन्सी मद से की जा सकती है। शासी निकाय द्वारा इस सम्बन्ध में नियोजन विभाग को समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिया गया।

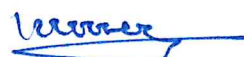
2.2. विभिन्न संस्थानों/विभागों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) के सम्बन्ध में।

2.2.1. MoRTH, Dehradun द्वारा उत्तराखण्ड राज्य एवं सीमावर्ती राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले भूस्खलन क्षेत्रों के न्यूनीकरण कार्यों (DPR and Mitigation Design) को बनाये जाने हेतु यू.एल.एम.एम.सी. से अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में शासी निकाय को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड राज्य हेतु MoRTH एवं THDC के मध्य दिनांक 27 फरवरी 2025 को सम्पादित MoU के अन्तर्गत निर्धारित दरों के आधार पर, MoRTH से सम्बन्धित MoU का ड्राफ्ट उत्तराखण्ड राज्य हेतु तैयार कर मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग देहरादून को दिनांक 10.06.2026 को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। दरों का विवरण निम्नवत् है –

(i) Rates of various Investigations shall be as under:

S.No.	Work Description	Rates (in Rs)
a	Topographical survey-Total Station/Drone	19,000/Ha
b	Geological Survey & Structural mapping and Kinematic	1,00,000/Ha
c	Geotechnical (if Investigations including laboratory testing	As per actual
d	Geophysical Investigations (ERT/SRT/MASW)	As per actual



ii) Consultancy Fee for DPR Preparation shall be as under:

S. No.	Area of Landslide (in Ha)	Consultancy Fee (Rs. Lakh)
a	Upto 0.375	8.50 per site
b	More than 0.375 & less than 0.75	12.75 per site
c	More than 0.75 & less than 1.50	17.00 per site
d	More than 1.50 & less than 3.75	25.50 per site
e	More than 3.75 & less than 7.50	34.00 per site
f	More than 7.50	4.70/ha

नोट – उपरोक्त तालिका में वर्णित कार्यों की वैटिंग की लागत सम्मिलित हैं।

उक्त पर शासी निकाय द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी है।

2.2.2. Uttarakhand Forest Resource Management Society (UFRMS) एवं Engineering Project (India) Ltd. (EPI) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। इनके द्वारा अनुरोध किया गया कि ये संस्थाएँ डी.पी.आर. गठन करने में अपनी तकनीकी सुविधाएं साझा करने के इच्छुक हैं।

शासी निकाय को अवगत कराया गया कि वर्तमान में यू.एल.एम.एम.सी. को अपने कार्यभार से अतिरिक्त डी.पी.आर. तैयार करने अथवा तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु अन्य विभागों से अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में, परियोजनाओं की लागत के आधार पर कार्यों को दीर्घ, मध्यम एवं लघु श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए, UFRMS एवं EPI संस्थाओं को sublet कर कार्यों के लिए देय परामर्श शुल्क प्रस्तावित किया गया। विवरण निम्नवत् है –

S.No.	Project Cost (Rs. in Cr.)	Sharing Percentage	
		UFRMS/EPI	ULMMC
1.	Less than 5.00	70%	30%
2.	More than 5.00 and less than 15.00	65%	35%
3.	More than 15.00	60%	40%

उक्त प्रस्ताव पर शासी निकाय द्वारा असहमति व्यक्त करते हुए यह पृच्छा की गई कि कार्यों के सम्पादन हेतु क्या यू.एल.एम.एम.सी. अपने उपलब्ध संसाधनों एवं वर्तमान क्षमता के आधार पर अपेक्षित कार्य करने में सक्षम है। यदि यू.एल.एम.एम.सी. के पास उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु पर्याप्त संसाधन एवं क्षमता उपलब्ध नहीं है, तो इस प्रकार के साझा प्रयासों में अनावश्यक रूप से संबद्ध होने से बचा जाना चाहिए। शासी निकाय द्वारा यू.एल.एम.एम.सी. को निर्देशित किया गया कि अपनी उपलब्ध क्षमता एवं संसाधनों के अनुरूप ही कार्य ग्रहण एवं सम्पादित किया जाये।

2.3. केन्द्रीय एवं राज्य संस्थानों/एजेन्सियों के साथ भूस्खलन से सम्बन्धित क्षेत्रों के न्यूनीकरण कार्य किये जाने हेतु विभिन्न परीक्षण एवं लैब परीक्षण कराये जाने हेतु अनुबन्ध किया जाना।

शासी निकाय को अवगत कराया गया कि यू.एल.एम.एम.सी. में भू-तकनीकी परीक्षण, लैब परीक्षण एवं डी.पी.आर. वेटिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अतः संबंधित तकनीकी कार्यों के निष्पादन हेतु IIT Roorkee, CSIR-CBRI, NIT Srinagar एवं IIT Patna आदि संस्थानों के साथ अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्ध अनुबन्ध किए जाने का प्रस्तावित है जिस पर शासी निकाय द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

2.4. यू.एल.एम.एम.सी. के कार्मिकों को देय टी.ए./डी.ए. से सम्बन्धित

उक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए शासी निकाय द्वारा यू.एल.एम.एम.सी. में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों को सर्वेक्षण हेतु फील्ड में जाने के दौरान टी.ए./डी.ए. एवं अन्य भत्ते दिए जाने का प्रावधान एवं यू.एल.एम.एम.सी. में कार्यरत कार्मिकों हेतु टी.ए./डी.ए. एवं अन्य भत्तों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी इस केन्द्र के कार्यालय आदेश सं. 355/16/यू.एल.एम.एम.सी./2024-25 दिनांक 08 सितम्बर 2024 एवं उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0-सा0 नि0) अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 18/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 की नियम एवं शर्तों को भी लागू की जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई है:-

S. No.	Salary Division	Equivalent Level	D.A		Accommodation	
			In Uttarakhand	Outside Uttarakhand	In Uttarakhand	Outside Uttarakhand
1	Below 60,000	6-9	350	400	400	750
2	60,000 – 1,25,000	10-13	450	500	1000	2250
3	Above 1,25,000	13A and above	600	700	1500	4500

2.5. यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा संपादित किये गये विभिन्न अध्ययन कार्यों को Journal /Conference /Book में Publish किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव शासी निकाय द्वारा यू.एल.एम.एम.सी. के अध्ययन एवं शोध कार्यों को Journal/Conference/Book में प्रकाशित किए जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा निर्देशित किया गया है कि शोध-पत्र प्रकाशन से पूर्व यू.एल.एम.एम.सी. से औपचारिक स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य होगा।

2.6. यू.एल.एम.एम.सी. में कार्यरत भू-वैज्ञानिक एवं जियोफिजिसिस्ट को वर्तमान में देय मानदेय में पुनर्विचार किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त हेतु महानिदेशक, यू.एल.एम.एम.सी. के निर्देशों के क्रम में वर्तमान में समस्त विज्ञप्तियों की भर्ती शासनादेश संख्या-205 / XVIII-B-2 /21-05(UDRP-AF) /2021 दिनांक 14 मार्च, 2022 के अनुसार ही प्रकाशित की गयी है। उक्त शासनादेश के अनुसार Geologist & Geophysicist के पदों का मानदेय क्रमशः रू0 80,000 एवं रू0 1,20,000 निर्धारित है। उक्त के क्रम में विज्ञप्ति संख्या-576 /17 /ULMMC / Recruit/2024 दिनांक 06.03.2025 एवं विज्ञप्ति

सं0-626 /17 / ULMMC / Recruit / 2025 दिनांक 11.02.2026 द्वारा यू.एल.एम.एम.सी में Geologist के पद पर नियुक्ति हेतु दो बार विज्ञापन प्रसारित किया गया है जिसके सापेक्ष कोई भी योग्य अभ्यर्थी प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान में यू.एल.एम.एम.सी. में कार्यरत Geologist & Geophysicist को 07 वर्षों का अनुभव होने के साथ ही यू.एल.एम.एम.सी. में 02 वर्ष की सेवा अवधि को पूर्ण कर किया जा चुका है। इस अवधि के दौरान इनका कार्य अत्यन्त संतोषजनक रहा है। यह भी अवगत कराना है कि अन्य समकक्ष विषय विशेषज्ञों के मानदेय की तुलना में उक्त कार्मिकों का मानदेय काफी कम है।

अतः उक्त कार्मिकों द्वारा मानदेय पर पुनर्विचार हेतु किए गए अनुरोध के आधार पर उक्त कार्मिकों को वर्तमान में मानदेय रुपये 55,000 (वार्षिक वृद्धि उपरान्त रू0 57750/-) से रुपये 80,000 प्रतिमाह वृद्धि किए जाने हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

उक्त प्रस्ताव पर शासी निकाय द्वारा वर्णित तथ्यों का स्पष्टीकरण सहित अवलोकन किए जाने के पश्चात् Geologist & Geophysicist को प्रदान की जा रही वर्तमान मानदेय रू0 57,750/- (रुपये सत्तावन हजार सात सौ पचास मात्र) से रू0 80,000/- (रुपये अस्सी हजार मात्र) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह वृद्धि शासी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. एजेण्डा(3) :- अध्यक्ष महोदय की सहमति से अन्य बिन्दु।

1. निदेशक, यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के सभी 13 जनपदों में Landslide Susceptibility Mapping का कार्य प्रगति पर है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ एवं चमोली में संभवित Debris Flow का कार्य किया गया है तथा संवेदनशीलता के आधार पर संभवित जोखिम वाले ग्रामों को सूचीबद्ध किया गया है।
2. NLRMP के अंतर्गत मंसा देवी, हरिद्वार में भूस्खलन रोकथाम कार्य को कुंभ मेला-2027 के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए, कार्य में तेजी लाने तथा आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।
3. मसूरी-देहरादून राज्य राजमार्ग भूस्खलन रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक कार्य शीघ्र प्रारम्भ किए जाने के उद्देश्य से यू.एल.एम.एम.सी. को यथाशीघ्र डी.पी.आर. तैयार करने के निर्देश दिए गए।
4. जोशीमठ में NGRI तथा CBRI के साथ मिलकर भू-धंसाव के monitoring का काम किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अन्त में शासी निकाय के अध्यक्ष महोदय एवं समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(विनोद कुमार सुमन)

सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग /
उपाध्यक्ष, शासी निकाय, यू.एल.एम.एम.सी.।

o/c

उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.), उत्तराखण्ड, देहरादून।

6वां तल, यू.एस.डी.एम.ए. भवन, आई.टी. पार्क, सहन्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या: 333 / 14 / यू.एल.एम.एम.सी. / 2024-25 देहरादून,
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित -

दिनांक 19 सितम्बर, 2026

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
2. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
3. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
7. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
8. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
9. निदेशक, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान, देहरादून ।
10. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की ।
11. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, हिमाचल प्रदेश ।
12. निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुमाड़ी, पौड़ी ।
13. अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लि०, नई टिहरी ।
14. निदेशक, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, देहरादून ।
15. निदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादून ।



(विनोद कुमार सुमन)

सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग /
उपाध्यक्ष, शासी निकाय, यू.एल.एम.एम.सी.।

०/८